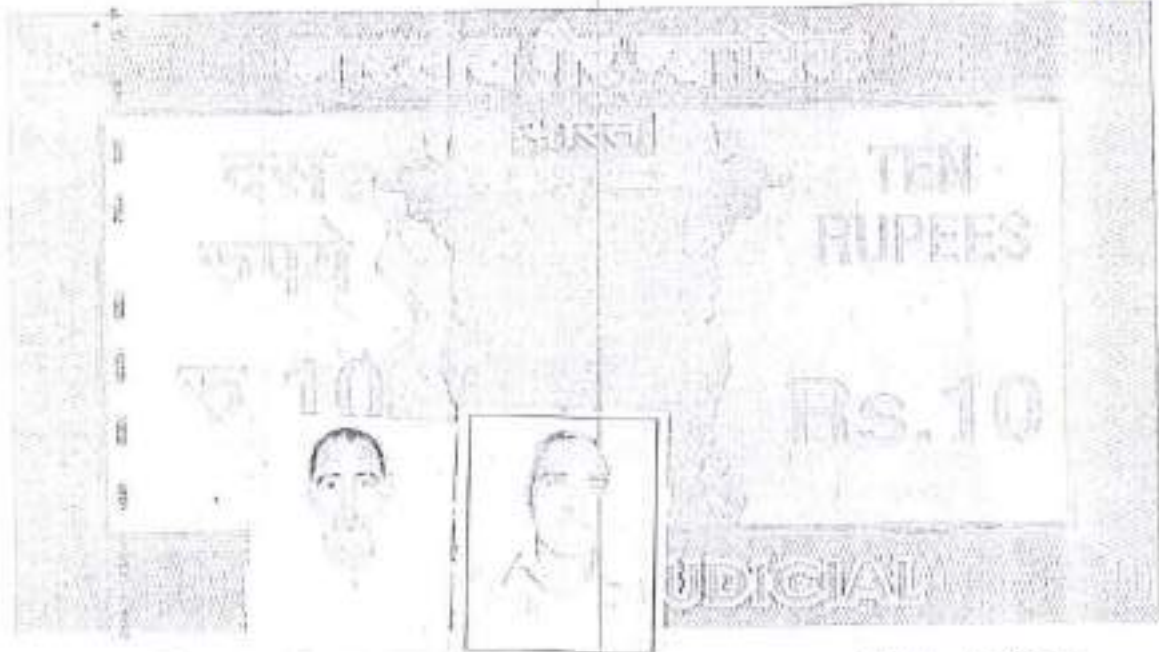




51

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

21AA 412286

1. भूमि का प्रकार - कृषि भूमि
 2. मोहल्ला/ग्राम, मौजा, जैत, तहसील व जिला मथुरा
 3. मापन की इकाई (हेक्टेयर) रकबा 0.004 हेक्टेयर
 4. सम्पत्ति का प्रकार - कृषि भूमि
 5. पेड़ों का मूल्यांकन नहीं
 6. बोरिंग/कच्चा/अन्य नहीं
 7. प्रतिफल की धनराशि 1492000/- रुपये
 8. स्टाम्प हेतु मालियत 1492000/- रुपये
 9. स्टाम्प देय मुक्त
 10. सरकारी दर भूमि 600000/- रुपये जो नवीन रेट लिस्ट के पृष्ठ सं 0000 पर दर्ज है।
- कार्यक्षेत्र उ०नि० नथुरा - प्रथम
क्रिस्ता की संख्या (1)
क्रिस्ता का विवरण
बड़ा दलक पुत्र श्री हुकमसिंह उर्फ हुक्मी निवासी ग्राम जैत तहसील व जिला मथुरा
क्रिस्ता की संख्या (1)
क्रिस्ता का विवरण
सर्नासिटी हाईटेक प्रोजेक्ट्स प्रा० लि० जो एक पंजीकृत कंपनी है जिसका प्रधान कार्यालय एन-49, प्रथम तल कनाट प्लेस नई दिल्ली है द्वारा क्रिस्ता कंपनी द्वारा अधिकृत श्री कमल देव उपाध्याय पुत्र श्री छैलबिहारी उपाध्याय निवासी गोवर्धन गेट बृन्दावन तहसील व जिला मथुरा

(1038)

Amrit



उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

21AA 412283

(2)

यें कि बुद्धा दत्तक पुत्र श्री हुकमसिंह उर्फ हुकमी निवासी ग्राम जैत तहसील व जिला मथुरा का है।

जो कि कृषि भूमि भूमिधरी आकार पत्र 23 के अनुसार चक नंबर-1281 के प्रथम चक का गाटा संख्या-403 सक्का 0.804 हेक्टेयर खालाना लगानी रुबरू कागजात स्थित मौजा जैत तहसील व जिला मथुरा मिलिकयत विक्रेता है जिस पर विक्रेता का वास्तविक व मालिकाना कब्जा है और सरकारी कागजात माल में विक्रेता का नाम बहैसियत मालिक भूमिधर के दर्ज चला आता है और जिसकी बावत विक्रेता को हर तरह के अधिकारों मालिकाना व कविजाना व हस्तान्तरण आदि के प्राप्ता है तथा जो हर प्रकार के विवादों झगड़े झंझटों कर्जों जमानतों व अन्य सभी प्रकार की देनदारियों से पूर्णतया मुक्त व पाक साफ है जिस पर किसी भी वित्तीय संस्था बैंक आदि या व्यक्ति विशेष को कोई भी देनदारी आयद नहीं है न उक्त भूमि किसी भी अधिग्रहण या स्लीपिंग आदि में जाती है न इस सम्बन्ध में कोई भी कार्यवाही विपराधीन है न विक्रेता ने उक्त भूमि को बेचने का मुहायदा वे किसी से भी तय कर रखा है न उक्त भूमि की विक्रेता की मिलिकयत की बावत कोई भी वाद किसी भी न्यायालय में विचरधीन है तात्पर्य यह है कि उक्त भूमि हर प्रकार के विवादों कर्जों देनदारियों आदि से मुक्त एक मात्र विक्रेता के ही स्वामित्व की है जिसमें अलावा विक्रेता के अन्य किसी को भी कोई हक हिरसा या सम्बन्ध नहीं है न कोई ऐसा व्यक्ति या वस्तु या कारण है जो विक्रेता के उक्त भूमि के बेचे जाने में किसी भी प्रकार की रुकावट या बाधा पैदा कर सके भूमि में सिंचाई का उपयुक्त साधन न होने के कारण उससे फास की अच्छी आय नहीं हो पाती है विक्रेता की रूपयों की आवश्यकता है कीमत अच्छी व अधिकतम मिल रही है मूल्य में प्राप्त धन का निवेश कहीं भी कर देने से विक्रेता को भूमि से वर्तमान में हो रही फास की आय से कई कई गुना अधिक व अच्छी आय हो जावेगी। जिसमें विक्रेता का सारासरा लाभ है अतः उक्त भूमि अपने सम्पूर्ण अंश भूमि को समस्त अधिकारों सहित जो उनकी बावत विक्रेता को प्राप्ता है या भविष्य में प्राप्ता हो सकते हैं बिना विक्रेताओं ने अपने पास

6281

[Signature]

26-1-2006

18

102

1. ਮਾਸਟਰ ਸਿਰੀ ਭੋਲਾ ਸਿੰਘ
 ਮਾਸਟਰ
 (ਸਹੀ)
 ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਪਬਲਿਕ ਸਕੂਲ
 ਪੰਜਾਬੀ ਮਾਧਿਅਮ ਸਕੂਲ, ਮੋਹਾਲੀ-142 005
 ਫਤਿਹਗੜ੍ਹ ਸਾਹਿਬ (ਮਾਧਿਅਮ)

2. ਮਾਸਟਰ ਮਾਨੋਜ ਕੁਮਾਰ
 ਮਾਸਟਰ
 ਮਾਧਿਅਮ ਸਕੂਲ, ਮੋਹਾਲੀ-142 005
 ਫਤਿਹਗੜ੍ਹ ਸਾਹਿਬ (ਮਾਧਿਅਮ)

ਸਿਕੇਲਾ

ਮਾਸਟਰ ਮਾਨੋਜ

ਮੋਹਾਲੀ

Registration No 1172

Year: 2007

Book No.

1

0101 ਬੁਝਾ

ਪਾਠਕ ਪੁੱਤ ਮੁਕਤ ਸਿੰਘ ਚੰਦ ਕੁਮਾਰੀ

ਬੀਬੀ ਮਲੂਕਾ

ਕੁਲੀ





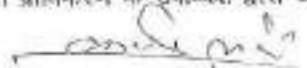
उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

21AA 412284

(3)

रखे या छोड़े किसी भी हक व अधिकार को प्रीहोल्ड सुखाधिकारों के साथ वरवज 1492000/- चीवत लाख बानवे हजार रुपये जिसके आगे 748000/- सात लाख छियालीस हजार रुपये होते हैं। बहक रानुशिटी हाईटेक प्रोजेक्टर्स प्रा० लि० जो एक पंजीकृत कम्पनी है जिसका प्रधान कार्यालय एन-49, प्रथमतल कनाट प्लेस नई दिल्ली है द्वारा क्रेता कम्पनी द्वारा अधिकृत श्री कपिल देव उपाध्याय पुत्र श्री छैलबिहारी उपाध्याय निवासी मोवर्धन गेट वृन्दावन सहरील व जिला मथुरा को वै कर्तई कर दी व बेच दी और मूल्य का कुल रूपया खरीदार से एक०डी०एफ०सी० बैंक के चेक नंबर-658598 दिनांक-27.12.2007 तादादी 1492000/- रुपये द्वारा वस्तु रजिस्ट्री बेनामा प्राप्त कर व मूल्य के कुल रूपये की प्राप्ती हो जाना अंगीकार कर बेची गई भूमि से विक्रेता ने अपना कब्जा हटकर क्रेता का वास्तविक व मालिकाना आधिपत्य करा दिया क्रेता एक मात्र स्वामी भूमि का हो गया। जिसकी बाबत वह कुल अधिकारात मालकाना व काविजाना व हरतान्तरण आदि अपने प्रयोग में लावे और उसका खुद जो चाहे सो करे, विक्रेता या उनके वारिसान का बेची गई भूमि से कोई सम्बन्ध किसी भी प्रकार का शेष नहीं रहा और न आयन्दा भविष्य में कदापि होगा। यदि बेची गई भूमि की मिल्कियत की बाबत कोई विवाद पैदा हो और कब्जा क्रेता से आशिक या पूर्ण निकल जावे या बेची गई भूमि पर लिया गया कोई ऋण जमानत देनदारी आदि का भार पाया जाये और उसके कारण क्रेता को कुछ खर्च करना पड़े या अदा करने पड़े तो उस कुल की अदायगी व जबाबदेही की जिम्मेदारी मय जर समन व जर लागत सुद आदि के विक्रेता या उनके वारिसान व उनकी चल अचल सम्पत्ति के जिम्मे होगा। क्रेता वह सब हरख ज़ावता बसूल करले। खर्चा बैनामा क्रेता के जिम्मे है जो शासनादेश सं० 6087/83आ-1-2003-04 दिनांक-22.11.2003 व अधिसूचना सं० 40नि० 5-2915/ग्यारह-2004-2004-600 (87)-2001 दि० 9.7.2004 संशोधित सं० 40नि० 5-3497/11-2005-500(83)-2005 दिनांक-9.9.2005 से स्टाम्प मुक्त है। प्रमाण पत्र संलग्न किया जा रहा है। जिसमें मथुरा वृन्दावन प्राधिकरण के उपध्यक्ष द्वारा जारी प्रमाण पत्र संलग्न किया जा रहा है।




[illegible]

30

Registration No. 1172

Year	2007
------	------

Book No.

0201 सार्वजनिक हार्बर्टल प्रोजेक्ट प्रारंभित होवा कविते देव सहाय्या
 फेलशिपरी उपलब्ध
 मोर्लीन गेट पुनर्बांधन करण
 अमार





उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

21AA 412285

(4)

लिखा जा यह बैनामा यक्षी राजी वृत्तसोपसम्झाकर लिख दिया कि सगद रहे और समय पर काम आवे। जिसके हम व हमारे नारिसान आदि सदैव पाबन्द रहेंगे। विक्रेता अनुसूचित जाति का सदस्य नहीं है। विक्रय पत्र केला विक्रेता के उपस्थिति में उनके निर्देशानुसार ड्राफ्ट किया गया है। फोटो प्रमाणित राजेन्द्र प्रसाद पाठक एडवोकेट ने किये हैं।

दिनांक-27.1.2007

कम्प्यूटर साईज्ड : गोपाल कृष्ण मथुरा

ड्राफ्ट किया : प्रभात कुमार चेतुर्वेदी एडवोकेट मथुरा

10/3/07



[Handwritten signature]



3/1/07

[Handwritten signature]
गोपाल कृष्ण मथुरा

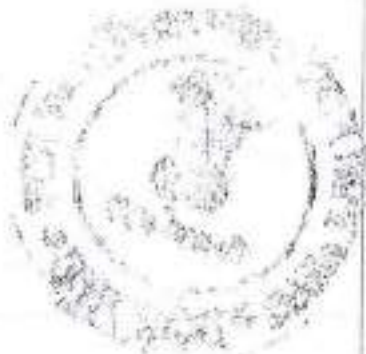
[Handwritten signature]
प्रभात कुमार चेतुर्वेदी



26.1.2006
7c
98 /



आज दिनांक 27/01/2007 को
वही सं 1 जिल्द सं 4115
पृष्ठ सं 211 से 218 पर कर्मांक 1172
रजिस्ट्रीकृत किया गया।



मुकेश श्रीवास्तव
उप निबन्धक
गद्युरा
27/1/2007



● उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

A 053572

(5)

मैं कि लोकमान पुत्र श्री भूरीसिंह निवासी ग्राम जीत तहसील व जिला मथुरा का हूँ।

जो कि कृषि भूमि आकार पत्र 23 के अनुसार चक नंबर-284(ब) व गाटा नंबर-491
रकबा 0.236 हैक्टेयर व गाटा नंबर-492 रकबा 0.540 हैक्टेयर व गाटा नंबर-493

लोकमान 7/2/22

Chandrasekhar





उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

A 053573



(6)

रकबा 0.010 हैक्टेयर व गाटा नंबर-495 रकबा 0.010 हैक्टेयर कुल चार किता रकबा 0.796 हैक्टेयर लगानी रुबरु कामजात बाकै गौजा जैत तहसील व जिला मधुस का हिस्सा 1/3 मिल्कियत विक्रेता है जिसको विक्रेता ने बजरिये बैनामा हरिया पुत्र श्री बदनसिंह से दिनांक-4.8.2008 नंबर-087 हुई, कय किम जिस पर विक्रेता का

मोहन राव

मोहन राव





उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

A 053574



(7)

वास्तविक मालिकाना कब्जा है और सरकारी कागजात माल में विज्ञेता का नाम
वही स्थित मालिक भूमिधर के दर्ज चला आता है और जिसकी वास्तविक चिह्नेता को हर
तरह के अधिकारों मालिकाना व काविजाना व हस्तान्तरण आदि के प्राप्त हैं तथा जो
हर प्रकार के विवादों झगड़े झंझटों कर्जों जमानतों व अन्य सभी प्रकार की देनदारियों

मो. 11/7/78 on 15/10/78





उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

A 053555

15 JAN 1976

(a)

से पूर्णतया मुक्त व पाक साफ है जिस पर किसी भी वित्तीय संस्था बैंक आदि या व्यक्ति विशेष की कोई भी देनदारी आयद नहीं है न उक्त भूमि किसी भी अधिग्रहण या सीलिंग आदि में आती है न इस सम्बन्ध में कोई भी कार्यवाही विचाराधीन है न विक्रेता ने उक्त भूमि को बेचने का मुहायदा है किसी से भी तय कर रखा है न उक्त भूमि की

मो. 011/171/3/6

च. 15.1.76



उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

A 053556

(9)

विक्रेता की भित्तियत की बावत कोई भी बाद किसी भी न्यायालय में विचाराधीन है
तात्पर्य यह है कि उक्त भूमि हर प्रकार के विवादों अथवा देनदारियों आदि से मुक्त एक
मात्र विक्रेता के ही स्वामित्व की है जिसमें अलावा विक्रेता के अन्य किसी का भी कोई
हक हिसाब या सम्बन्ध नहीं है न कोई ऐसा व्यक्ति या वस्तु या कारण है जो विक्रेता
के उक्त भूमि के बेचे जाने में किसी भी प्रकार की रुकावट या बाधा पैदा कर सके भूमि

मोहन १७

Chander



A 053557

(10)

में सिंचाई का उपयुक्त साधन न होने के कारण सरसों काश्त की अच्छी आय नहीं हो पाती है विक्रेता को रुपयों की आवश्यकता है वीमस अच्छी व अधिकतम मिल रही है मूल्य में प्राप्त धन का निवेश कहीं भी कर देने से विक्रेता को भूमि से वर्तमान में हो रही काश्त की आय से कई कई गुना अधिक व अच्छी आय हो जावेगी।

लोकाचर

चमिल रेय



उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

A 053388



(11)

जिसमें विक्रेता का सरासर लाभ है, अतः उक्त भूमि को समस्त अधिकारों सहित जो उसकी वास्तविक मालिक को प्राप्त है या भविष्य में प्राप्त हो सकते हैं बिना विक्रेता ने अपने पास रखे या छोड़े किसी भी हक व अधिकार के फ्रीहोल्ड सुखाधिकारों के साथ बरतवज 653000/- रु. लाख तिरपन हजार रुपया जिराके आये

मो. 053388





उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

A 053389

(12)

328500/- बीन लाख छब्बीस हजार पांच सौ रुपया होते हैं। बहाक राजबल बिल्टवैल प्राप्ति जो कम्पनी अधिनियम के अन्तर्गत एक पंजीकृत कम्पनी है जिसका प्रधान कार्यालय ए-49, फर्स्ट फ्लोर कनाट प्लेस नई दिल्ली द्वारा कम्पनी द्वारा अधिकृत

नो अनवरत अनिल मिश्र



● उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

B 664953



(13)

● कपिलदेव उपाध्याय पुत्र श्री छैलबिहारी उपाध्याय निवासी गोवर्धनगेट, वृन्दावन तहसील
व जिला मथुरा को वे कतई कर दी व येच दी और मूल्य का रुपया क्रेता से
633000/-रुपये एचडीएफएनसी बैंक के चेक नंबर-535862 दिनांक-15.1.2007

लोकमान्य

कपिलदेव





उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

B 664954



(14)

द्वारा व 20000/-रुपये तकद वक्त रजिस्ट्री बैनामा प्राप्त कर व मूल्य के कुल रुपये की प्राप्ती हो जाना अंगीकार कर बेची गई भूमि से विक्रेता ने अपना कब्जा हटाकर क्रेता का वास्तविक व मालिकाना अधिपत्य करा दिया क्रेता एक मात्र स्वामी भूमि बन हो गया। जिसकी बावत यह कुल अधिकारगत मालिकाना व कायिजाना व हस्तान्तरण आदि अपने प्रयोग में लाये और उसका खुद जो चाहे सो करे, विक्रेता या उसके वारसान का बेची गई भूमि से कोई सम्बन्ध किसी भी प्रकार का शेष नहीं रहा और न आगन्दा भविष्य में कदापि होगा। यदि बेची गई भूमि की मिल्कियत की द्वायत कोई विवाद पैदा हो और कब्जा क्रेता से जाशिक

मोहन 11/7/12

anand 11/7/12



उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

8 664955



(15)

या पूर्ण निकल जावे या बेची गई भूमि पर लिया गया कोई ऋण जमानत देनदारी आदि का भार पाया जाये और उसके कारण क्रेता को कुछ खर्च करना पड़े या अदा करने पड़े तो उस कुल की अदायगी व जवाबदेही की जिम्मेदारी गय जर सगन व जर लागत सूद आदि के विक्रेता व उसके वारिसान व उसकी चल अचल सम्पत्ति के जिम्मे होगी। क्रेता वह सब हस्त जाब्त बसूल करलें। फोटो प्रमाणित राजेन्द्र प्रसाद पाठक एडवोकेट ने किये हैं।

मोहनराज ठा. २ मिन





● उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

B 664886

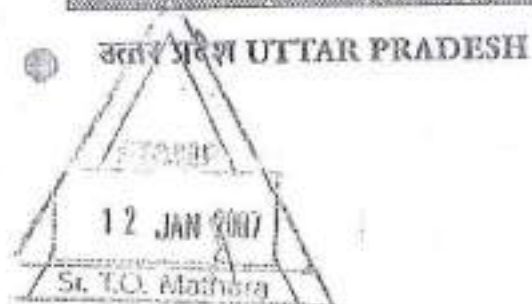
17 JUN 2007

16

●

बेचे जाने वाली आसजी की मालियत 853000/- रुपये

am. Soud



8 664887

हे जिस पर नियमानुसार स्टाम्प अदा किया गया है।

Handwritten signature



18

लिहाजा यह बैनामा तबुशी राजी खूबसोचसामझकर लिख दिया कि सनव रहे और समय पर काम आवें। जिसका मैं व मेरे चारिसान आदि सदैव पाबन्द रहेंगे। विक्रेता अनुसूचित जाति का सदस्य नहीं हैं। विक्रित भूमि में पेड़ बोरेिंग व फसल नहीं है विक्रय पत्र क्रेता विक्रेता के उपस्थिति में उनके निर्देशानुसार ड्राफ्ट किया गया है।

दिनांक- 15.1.2007

टाईप किया: गोपाल कृष्ण, मथुरा।

ड्राफ्ट किया : प्रभात कुमार बलुवंदी एडवोकेट, मथुरा।

मो. 0571-2511111

0571-2511111

प्रमाण

प्रमाण

रजिस्ट्रार ऑफ़ दिस, मीरत
मे. 0571-2511111
मथुरा

प्रभातदेव, पुत्र श्री रामगोपाल
नि. जेत
पि. मथुरा

53

M-48

12.1.2006

40
पञ्चमः सप्तमः
पुत्र श्री
पिता

2002

(1002)

संज्ञितः पञ्चमः सप्तमः
संज्ञितः पञ्चमः सप्तमः
संज्ञितः पञ्चमः सप्तमः



आज दिनांक 15/01/2007 को
वही सं 1 जिल्द सं 4090
पृष्ठ सं 261 से 292 पर कमांक 593
रजिस्ट्रीकृत किया गया ।


मुकेश श्रीवास्तव
उप निबन्धक
मथुरा
15/1/2007